न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 51/2026 बउनवानी ओमप्रकाश मीना **बनाम** उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
निवासी लक्ष्मणगढ सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/ 97 **Appeal Number- 321001778797181**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
24.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" Award list including amount receipt copy of nisi khatedari old Khasra no 32 village borif tehsil sawai madhopur namantakaran n0. 147 Tonk Road के संबंध में प्रमाणित सूचना*** " उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सूचना अधि./2026/318 दिनांक 15.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना का संबंध अधिशाषी अभियंता, सा0नि0वि0 सवाईमाधोपुर एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर से होने कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को अन्तरित कर अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 22.01.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय से नही होने कारण अपीलान्ट का आवेदन पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया जा चुका है। यहॉं यह भी उल्लेखनीय है अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण भी अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट को चाहिए कि वह चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण सहित संबंधित लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे सम्पर्क करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner